शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

अम्बिकापुर, जिला - सरगुजा, छ.ग.

नैक मूल्यांकित - ग्रेड B+

प्रवेश विवरणिका

2020-21

Contact us :
Phone : 0777-235266

₹- 30.00

शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

2020-21

(1) शिक्षण सत्र दिनांक 01-06-2020 से प्रारंभ होगा।

(2) परीक्षा फल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लें। विलंब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।

(3) प्रवेश लेने के एक सप्ताह पश्चात् छात्र अपना प्रवेश पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय-पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।

(4) महाविद्यालय प्रशासन एवं पठन-पाठन में छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है। महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।

(5) महाविद्यालय परिसर में मोबाईल पूर्णत प्रतिबंधित।

(6) कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवसर्य है।

(7) अनुसूचित जाति / जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर जमा करें।

(8) अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आन्दोलन / हड़ताल, हिंसक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

(9) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(10) अवधान राशि (कॉशन मनी) देय होने पर रसीद जमा के पश्चात् मनीआर्डर द्वारा संबंधित के पते पर भेजी जायेगी।

(11) सत्र, 2009-10 से एम एच एस सी., पी.जी.डी.सी.ए. की कक्षा स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है।

परिचय -

शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना 30 जुलाई 1987 को हुई थी। सत्र 1987-88 से महाविद्यालय में कला संकाय संचालित हो रहा है। सत्र 1989-90 में कला संकाय के साथ विज्ञान संकाय एवं गृह विज्ञान संकाय का प्रारंभ हुआ। यह महाविद्यालय गुरुघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से संबद्ध रहा है। अब यह महाविद्यालय, सरगुजा विश्व विद्यालय अम्बिकापुर से सम्बद्ध है। वर्तमान में यह सरगुजा जिले का एक मात्र शासकीय कन्या महाविद्यालय हैं। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 14.07.2006 को इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। महाविद्यालय स्वयं के भवन में, जो जिला दूरसंचार कार्यालय के पास स्थित है, संचालित हो रहा है।

सामान्य विवरण-

1. (अ) महाविद्यालय में दो संकायों के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा है कला एवं विज्ञान। कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र एवं विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, प्राणि शास्त्र तथा गृह विज्ञान हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है।
   (ब) स्नातकोत्तर स्तर पर रसायन शास्त्र, हिन्दी, राजनीति शास्त्र, इतिहास एवं एम.एच.सी (स्ववित्तीय) में अध्ययन की सुविधा है।
2. स्नातक कक्षाओं हेतु विषयों का चयन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय समूह के अनुसार ही किया जा सकेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को वांछित विषय लेने की स्वीकृति अनिवार्य नही है।
3. महाविद्यालय में क्रीडा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं मैदान उपलब्ध है। क्रीडा की विभिन्न विधाओं के लिए प्रभारी प्रध्यापक होगे जो क्रीडा अधिकारी के सहयोग से सम्पूर्ण क्रियाकलापों का मार्गदर्शन प्रदान कर नियंत्रण रखेगें।
4. महाविद्यालय के सुचारु रुप से संचालन हेतु अनुशासन समिति है जो महाविद्यालय में अनुशासन के संबंध में पूर्ण रुपेण अधिकृत है।
5. राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई है। जिसमें 100 छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रशिक्षण योजना शिविर कार्यक्रम एवं सामान्य व्यवस्था का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करेंगे। इस इकाई का प्रत्येक विद्यार्थी सदस्य योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में रुचि लेकर पारंस्परिक सहयोग से योजनाओं को निष्ठा से पूर्ण कर महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा का निर्वाह करेगा।
6. विभिन्न प्रकार के देय शुल्क शुल्क मुक्ति, प्रवेश के नियम एवं मार्गदर्शन सिद्धांत, आचरण सहित छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों की जानकारी छात्र सहायता निधि, अनुशासन संबंधी नियम, उपस्थिति एवं प्रवेश आवेदन प्रारुप की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके पालक का कर्त्तव्य है कि इनसे भली-भांति अवगत हो।

विषय चयन में विश्वविधालय का बंधन-

सत्र 2018-19 में बी.ए. प्रारम्भिक एवं बी.एस.सी. प्रारम्भिक कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु विषयों के समूह बनाये है इसके अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा ये समूह निम्न है- बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रत्येक ऐच्छिक विषय की अधिकतम संख्या 200 निर्धारित की गई है। विषय वितरण का कार्य पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

1. स्नातक कक्षा निर्धारित संख्या

1. बी.ए.प्रारम्भिक	-	380	अनिवार्य विषय- (1) आधार पाठ्यक्रम (2) पर्यावरण अध्ययन (केवल प्रथम वर्ष) स्नातक स्तर के समस्त संकायों हेतु आवेदक निम्नांकित विषयों में से किन्ही तीन विषय का चयन कर सकता है। (1) समाज शास्त्र (2) अर्थशास्त्र (3) राजनीतिशास्त्र (4) इतिहास (5) गृह विज्ञान (6) हिन्दी साहित्य (7) अंग्रेजी साहित्य
2. बी.एस.सी. प्रारंभिक (गणित समूह)	-	50	(गणित समूह) - भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित
3. बी.एस-सी. प्रारंभिक	-	280	(बायो समूह) - रसायन शास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पति शास्त्र
4. बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस	-	30	(कम्प्यूटर समूह) - कम्प्यूटर, भौतिकी, गणित
5. बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)	-	40	(गृह विज्ञान) में सभी अनिवार्य विषय लेना आवश्यक है।
6. बी. कॉम प्रारंभिक	-	40	सभी अनिवार्य विषय

2. स्नातकोत्तर - कक्षा निर्धारित संख्या

एम.ए.-हिन्दी-30, इतिहास-30, राजनीति शास्त्र-30, समाजशास्त्र-30, एम.एस.सी.-रसायन विज्ञान-30, एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) आहार एवं पोषण-20, एम.एस.सी. गृहविज्ञान मानव विकास (स्ववित्तीय)-20, एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र-30, एम.एस.सी. गणित-25

3. व्यवसायिक पाठ्यक्रम - पी.जी.डी.सी.ए.-30

4. शोधकेन्द्र- विषय-हिन्दी साहित्य एवं राजनीति विज्ञान

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों की
स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्ति :-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-**

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को व. प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 **पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:-**

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुर्नमूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण : -

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करे।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकार देय है, वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रुप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इसे हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिग / अनुशासनहीनता / तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपार्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र / पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियो को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी.कॉम. / बी.एच.एस.सी. / बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.काम. / एम.एच.एस-सी. / एम.ए पूर्व निवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी. / एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम / द्वितीय एवं एल.एल.एम. पूर्वाद्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता , वहां 45% होगी। एल.एल.एम. पूवार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बार्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बार्ड की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते है।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन आफ युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं। उनकी समरत परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए. / बी.काम. डायरेक्ट वन सिंटिंग परीक्षाएं मान्य नही है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यलय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है। की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए. / बी.काम / बी.एस.-सी / बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वाशासी महाविद्यालय से प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों / समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशाली महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्याय आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम / द्वितीय / तृतीय में पूरक / एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम / द्वितीय में निर्धारित एग्रीमेंट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों का अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नही लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकारण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों / अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने के गंभीर आरोप हो / चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र / छात्राओं को प्रवेश हीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले / रैगिंग के आरोपी छात्र / छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जावे। ऐसे छात्र / छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओं का 3 वर्ष की छूट रहेगी।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के मंत्रालय / कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेश मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति / अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले ओवदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग / विकलांग विद्यार्थयों / महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियेक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र / छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणनुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होंने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जावेगा।
(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अधिकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा
(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र / स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के सभीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर / तहसील / जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों का प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलामें के समीपस्थ स्थिति महाविद्यालय में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नही होने पर उन्हे गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः तथा 32% स्थान आरक्षित होगे। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. वर्ग से भरी जावेगी। इस हेतु प्राचार्य एक पांच सदस्यीय समिति गठित करेगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा. एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामन्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भर कर सूची को सूचना पटल पर चस्पा करेंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14% स्थान आरक्षित होगे।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रुप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगे विकलांग आवेदकों को प्राप्ताकों को 10% अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो के उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1 / 2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1 / 2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरिक्षत स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 समय-समय पर शासन द्वारा जानी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद मे लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स / गाइड्स / रेन्जर्स / सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी.	ए सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी. या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	बी सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत
(ग)	सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स		04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनायीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को		04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विधार्थी को		05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स		05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स		10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट		10 प्रतिशत
(य)	ड्यूर्क ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट		15 प्रतिशत
	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के माध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को		15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विधार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर — 05 प्रतिशत

13.4 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रुपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभार स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

(2) उपयुक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंर्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रिय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम , द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.6 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क)	छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को	10 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत

13.7 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.8 **विशेष प्रोत्साहन :-**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलंपियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण - पत्र प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक का प्रमाण - पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय, एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण - पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगें।

१४. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नाताकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले करने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/ विषय/ ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2, 2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणात्मक सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाल विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

१५. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/ प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच. डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रुप में कार्यरत् है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं। जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रसित करेंगे।

16. विशेषः-

16.1 जाली प्रमाण पत्रों गलत जानकारी जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगें।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़े देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्ग दर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यककता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रुप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शन सिद्धान्तों में समय- समय पर परिवर्तन/संशोधन/ निरसर/संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

नोट- उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धांतो में यदि परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

डॉ. ज्योति सिन्हा

प्राचार्य एवं संरक्षक

क्र.	कक्षा	संयोजक	सदस्य	स्थल
1.	एम.ए. हिन्दी	डॉ. यू. पी. शर्मा	-	कक्ष क्रमांक 01
2.	एम.ए. राजनीति	डॉ. हाजरा बानो	डॉ. अखिलेश द्विवेदी	कक्ष क्रमांक 10
3.	एम.ए इतिहास	डॉ. एम. के. हुसैन	-	इतिहास विभाग
4.	एम .ए. समाजशास्त्र	डॉ. एम. आर. गोयल	डॉ. अभिलाषा सैनी	कक्ष क्रमांक 09
5.	एम. एस. सी. रसायन	श्री संजय जैन	श्रीमती ममता कुर्रे	रसायन विभाग
6.	एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र	श्रीमती.जे. जे. गुप्ता	-	वनस्पितिशास्त्र विभाग
7.	एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) आहार एवं पोषण	डॉ. अलका जैन	-	कक्ष क्रमांक 05
8.	एम.एच.एस.सी मानव विकास	डॉ. एजेन टोप्पो	-	कक्ष क्रमांक 03
9.	एम.एस.सी. गणित	श्री सुनील गुप्ता	-	गणित विभाग 19
10.	बी.ए. प्रथम वर्ष	डॉ. यू.पी. शर्मा	1. डॉ. प्रेमलता एक्का 2. डॉ. आनन्द कुमार	कक्ष क्रमांक 01
11.	बी.ए. द्वितीय वर्ष	डॉ. हाजरा बानो	डॉ. अखिलेश द्विवेदी	कक्ष क्रमांक 10
12.	बी.ए. तृतीय वर्ष	डॉ. सुषमा भगत	श्री हर्ष पाण्डेय	कक्ष क्रमांक 09
13.	बी.एस. सी. प्रथन वर्ष	श्रीमती जे. जे. गुप्ता	-	वनस्पति शास्त्र विभाग
14.	बी. एस. सी. द्वितीय वर्ष	श्री सुनील गुप्ता	-	गणित विभाग
15.	बी. एस. सी तृतीय वर्ष	श्री संजय जैन	-	रसायन विभाग 27
16.	बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)	डॉ. अलका जैन	डॉ. ऐजेन टोप्पो	कक्ष क्रमांक 05
17.	पी.जी.डी.सी.ए. (I, II, III)	श्री सुनील गुप्ता	-	कम्प्यूटर लैब
18.	बी.कॉम. (I, II)	डॉ. आनन्द कुमार	-	कक्ष क्रमांक 01

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों की सूची

क्र.	प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक का नाम	पद	विषय
1.	डॉ. एम. आर. गोयल	प्राध्यापक	समाजशास्त्र
2.	डॉ. एम. के. हुसैन	प्राध्यापक	इतिहास
3.	डॉ. अभिलाषा सैनी	प्राध्यापक	समाजशास्त्र
4.	डॉ. सुषमा भगत	सहा. प्राध्यापक	समाजशास्त्र
5.	डॉ. हाजरा बानो	सहा. प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान
6.	डॉ. यू.पी. शर्मा	सहा. प्राध्यापक	हिन्दी
7.	डॉ. अलका जैन	सहा. प्राध्यापक	गृह विज्ञान
8.	डॉ. एजेन टोप्पो	सहा. प्राध्यापक	गृह विज्ञान
9.	श्रीमती जे. जे. गुप्ता	सहा. प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र
10.	डॉ. अखिलेश कुमार द्विवेदी	सहा. प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान
11.	श्री संजय जैन	सहा. प्राध्यापक	रसायन शास्त्र
12.	डॉ. प्रेमलता एक्का	सहा. प्राध्यापक	अर्थशास्त्र
13.	श्री सुनील गुप्ता	सहा. प्राध्यापक	गणित
14.	डॉ. हर्ष पाण्डेय	सहा. प्राध्यापक	समाजशास्त्र
15.	श्रीमती ममता कुर्रे	सहा. प्राध्यापक	रसायन शास्त्र
16.	डॉ. आनन्द कुमार	सहा. प्राध्यापक	वाणिज्य

प्रवेश शुल्क काउण्टर

क्र.	कक्षा	शुल्क लिपिक का नाम	काउन्टर नं.
1.	बी.ए. प्रथम वर्ष	श्री अनुज सिन्हा	02
2.	बी.ए. द्वितीय वर्ष	श्री पंकज गुप्ता	02
3.	बी.ए. तृतीय वर्ष	श्री सोमेन्द्र पताप सिंह	18
4.	बी. कॉम. (समस्त)	श्री सोमेन्द्र प्रताप सिंह	18
5.	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	श्री दीपक अम्बस्थ	30
6.	बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष	श्री रमेश प्रताप सिंह	16
7.	बी.एस.सी. तृतीय वर्ष	श्रीमती वंदना कुजूर	26
8.	बी.एस.सी. (गृह विज्ञान समस्त)	श्रीमती मरियम कृपावती तिर्की	04
9.	स्नातकोत्तर पूर्व / अंतिम एवं पी.जी.डी.सी.ए.	श्रीमती प्रीति जायसवाल	कार्यालय

जनभागीदारी समिति अध्यक्ष- श्रीमती सुधा गुप्ता, पार्षद नगर पालिका निगम

जनभागीदारी समिति सचिव- डॉ. ज्योति सिन्हा, प्राचार्य

रैगिंग दण्डनीय अपराध है।

1. रैगिंग में सम्मिलित छात्राओं के विरुद्ध प्रताड़ना प्रतिषेद्ध अधिनियम के तहत व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रुप से कठोर दण्ड का प्रावधान है।
2. रैगिंग से प्रभावित छात्राएँ तत्काल एंटी रैगिंग समिति के सदस्यों अथवा प्राचार्य से सम्पर्क करें।

महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ तथा प्रभार

1. छात्र संघ	डॉ. सुषमा भगत, सहा. प्राध्यापक (समाजशास्त्र)
2. एन.एस.एस.	डॉ. प्रेमलता एक्का, सहा. प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)
3. रेडक्रॉस	डॉ. हाजरा बानो, सहा. प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)
4. क्रीडा प्रभारी	डॉ. एजेन टोप्पो, सहा. प्राध्यापक, (गृह विज्ञान)
5. युवा उत्सव प्रभारी	डॉ. यू.पी. शर्मा, सहा. प्राध्यापक (हिन्दी)
6. ग्रंथालय	श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, ग्रंथपाल

कार्यालय स्टॉफ की सूची

1. श्रीमती कामना अम्बष्थ	सहा. ग्रेड-01 (स्थापना)
2. श्री नरेन्द्र मिश्र	सहा. ग्रेड-02 (लेखा शाखा)
3. श्री अनुज सिन्हा	सहा. ग्रेड-03 (छात्र शाखा)
4. श्री पंकज गुप्ता	सहा. ग्रेड - 03 (छात्रवृत्ति शाखा)

प्रयोगशाला शिक्षक

1. श्रीमती प्रीति जायसवाल
2. श्रीमती मरियम कृपावती तिर्की
3. श्री दीपक अम्बष्थ
4. श्री रमेश प्रताप सिंह
5. श्री सोमेन्द्र प्रताप सिंह
6. श्रीमती वन्दना कुजूर

प्रयोगशाला परिचारक

1. श्री परमेश्वर सिंह
2. श्रीमती अल्पना भारती

अन्य कर्मचारी

1. श्री अर्जुन त्रिपाठी - बुक लिफ्टर
2. श्री तुला राम पांड़े - भृत्य
3. श्री मधुसुदन दास - चौकीदार

शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर (सरगुजा)

शुल्क तालिका सत्र

शासकीय एवं अशासकीय शुल्क

शुल्क विवरण	स्नातक कला एवं वाणिज्य	स्नातक विज्ञान	स्नातकोत्तर कला	स्नातकोत्तर विज्ञान	पी.जी. डी.सी.ए.
शिक्षक शुल्क	03/-	23/-	03/-	23/-	23/-
अवधान राशि	60/-	100/-	100/-	100/-	100/-
संघ प्रवेश शुल्क	2/-	02/-	02/-	02/-	02/-
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5/-	05/-	05/-	05/-	05/-
परिचय पत्र	10/-	10/-	10/-	10/-	10/-
महाविद्यालय विकास शुल्क	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
सायकल स्टैण्ड शुल्क	30/-	30/-	30/-	30/-	30/-
कामन रुम/वाचनालय	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-
आन्तरिक मूल्यांकन शुल्क	50/-	50/-	50/-	50/-	50/-
ग्रंथालय परिचय शुल्क	05/-	05/-	05/-	05/-	05/-
जन भागीदारी शुल्क	500/-	500/-	500/-	500/-	500/-
महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-
रेड क्रास शुल्क	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
क्रीड़ा शुल्क	22/-	22/-	22/-	22/-	22/-
सम्मिलित निधि शुल्क	02/-	02/-	02/-	02/-	02/-
स्नेह सम्मेलन/वार्षिकोत्सव	10/-	10/-	10/-	10/-	10/-
चिकित्सा शुल्क	03/-	03/-	03/-	03/-	03/-
युवा गतिविधि शुल्क	17/-	17/-	17/-	17/-	17/-
शारीरिक कल्याण शुल्क	150/-	150/-	150/-	150/-	150/-
वि.वि.पुस्तकालय शुल्क	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-
कुल योग	1004/-	1064/-	1044/-	1064/-	1064/-

नोटः- 1. एम.एस.सी. गृह विज्ञान (मानव विकास) में प्रवेश हेतु उक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 3000/- वार्षिक शुल्क देय होगा।
2. पी.जी.डी.सी.ए. में प्रवेश हेतु उक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 9500/- वार्षिक शुल्क देय होगा।
1. प्रथम किस्त - 5664 रु. के साथ
2. द्वितीय किस्त - 5000 रु. अक्टूबर माह में

रैगिंग दण्डनीय अपराध है।

प्रकाशक : -

प्राचार्य शासकीय राजमोहिनी देवी

कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

अम्बिकापुर, जिला - सरगुजा, छ.ग.

फोन - 07774-235266

महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं स्वच्छता बनाए रखें...

Jyoti Offset, Ambikapur - 07774-223839